"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2023—भाद्रपद 10, शक 1945

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जुलाई 2023

क्रमांक ई 1-01/2023/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रोहित व्यास, भा.प्र.से. (2017) आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला-दुर्ग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर कलेक्टर, जिला-दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, भा.प्र.से. (2018) आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर कलेक्टर, जिला-सरगुजा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जुलाई 2023

क्रमांक/2863/एफ-11/05/2022/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 8092-12680 चौदह-I, भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर, 1967 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला-दुर्ग के मंडी क्षेत्र में निम्नलिखित स्थान, जिसमें कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, को राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से फल एवं सब्जी उपमंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम कुम्हारी, पटवारी हल्का नम्बर 00012, राजस्व निरीक्षक मण्डल कुम्हारी, तहसील भिलाई 3 (कुम्हारी), जिला-दुर्ग में स्थित शासकीय भूमि खसरा नम्बर 829/3 रकबा 1.070 एवं खसरा नम्बर 829/4 रकबा 2.330, कुल रकबा लगभग 3.400 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र जिसके —

1.	उत्तर में	—	खसरा नम्बर 858, शासकीय भूमि
2.	दक्षिण में	—	खसरा नम्बर 829/2, शासकीय भूमि
3.	पूर्व में	—	खसरा नम्बर 829/4, उपसंचालक, कृषि विभाग
4.	पश्चिम में	—	खसरा नम्बर 829/1, शासकीय भूमि

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जुलाई 2023

क्रमांक/2863/एफ-11/05/2022/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2863/रायपुर, दिनांक 13-07-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, the, 13th July 2023

No./2863/F-11/05/2022/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declares, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, the following place including any structures, enclosures, open place or locality to be fruit and vegetable sub-market yard within the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Durg, District-Durg established vide this Department Notification No. 8092-12680-XIV-I, Bhopal, Dated 29th November, 1967, namely :—

PLACE

An total area of about 3.400 hectare land of Khasra No. 829/3 Rakba 1.070 and Khasra No. 829/4 Rakba 2.330 Government land situated at Village Kumhari, Patwari, Halka No. 00012, Revenue Inspector Circle Kumhari in Bhilai 3 (Kumhari) Tahsil of District Durg are as under :—

1.	On North side	—	Khasra No. 858, Government Land
2.	On South side	—	Khasra No. 829/2, Government Land
3.	On East side	—	Khasra No. 829/4, Deputy Director, Agriculture Department,
4.	On West side	—	Khasra No. 829/1, Government Land

Bu order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 3-66/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत रायपुर विकास प्राधिकरण की अधिसूचना क्रमांक 4232/रा.शा./वि.प्रा./2010 दिनांक 5 जुलाई 2010 द्वारा नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) क्षेत्र के लिए नगर विकास स्कीम नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) अनुमोदित की गई है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा सूचित करती है कि उक्त नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) को नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कौशल्या माता विहार) के नाम से जाना जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. राहुल वेंकट, उप-सचिव.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 5-9/2021/29-2.—उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 की कंडिका 6 के प्रावधानों के संदर्भ में राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य (अनारक्षित/महिला) के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चार वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष (पैंसठ वर्ष) की आयु जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है :—

क्र.	नाम व पता	अनारक्षित/महिला	जिला उपभोक्ता आयोग
1.	श्री नवनीकांत दत्ता, पता-मायापुर, चांदनी चौक, खैरबार रोड अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग.	अनारक्षित सदस्य	सरगुजा (अम्बिकापुर)

2. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना), नियम, 2020 के नियम-6(12) के अनुसार सदस्य की नियुक्ति इन नियमों के साथ संलग्न अनुलग्नक में यथाइंगित शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, जिसे सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया गया हो, प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगी.

3. चयनित अभ्यार्थियों को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उनके वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे.

4. चयनित अभ्यार्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा. निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 5-11/2022/29-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (2019 की सं. 35) धारा 28 की उपधारा 2 (क) एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के नियम 6(क) के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर

श्री अशोक कुमार लुनिया, पता-रिटायर्ड जिला न्यायाधीश हाउस क्रमांक पी-15 ऋषभ ग्रीन सिटी पुलगांव चौक दुर्ग छ.ग. को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 04 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु इसमें से जो भी पहले हो तक के लिये नियुक्त करता है.

2. **नियुक्ति की शर्तें—**

(1) राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य को पदभार ग्रहण करने से पूर्व उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के नियम 6(12) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र तथा नियम 6(13) के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे जिनसे न्यायिक सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.

(2) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 एवं छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन/भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम 2020 के अध्यधीन होगी.

(3) चयनित अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा. निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 5-13/2022/29-2.—उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 की कंडिका 6 के प्रावधानों के संदर्भ में राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य (अनारक्षित/महिला) के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चार वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष (पैंसठ वर्ष) की आयु जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है :—

क्र.	नाम व पता	अनारक्षित/महिला	जिला उपभोक्ता आयोग
1.	श्री अनिल अग्निहोत्री, पता-कोटेश्वर शिव मंदिर के पास, कोटा, रायपुर छ.ग.	अनारक्षित सदस्य	रायपुर
2.	श्री ओमप्रकाश चन्द्राकर पता-ग्राम कठौतिया, पो.-छिरहा, तह. व जिला बेमेतरा, छ.ग.	अनारक्षित सदस्य	बेमेतरा
3.	श्री पंकज कुमार देवड़ा, पता-मिशन रोड, श्याम मंदिर के पास, कोरबा, जिला-कोरबा छ.ग.	अनारक्षित सदस्य	कोरबा
4.	श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, पता-बैकुण्ठपुर, वार्ड नं. 16, जगन्नाथ मंदिर के पास, जिला-रायगढ़ छ.ग.	अनारक्षित सदस्य	रायगढ़
5.	डॉ. रामखेलावन कश्यप, पता-एल.आई.जी. 623 दिनदयाल कालोनी मंगला, बिलासपुर (छ.ग.)	अनारक्षित सदस्य	सुकमा

2. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना नियम, 2020 के नियम-6(12) के अनुसार सदस्य की नियुक्ति इन नियमों के साथ संलग्न अनुलग्नक में यथाइंगित शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, जिसे सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया गया हो, प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगी.

3. चयनित अभ्यार्थियों को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उनके वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे.

4. चयनित अभ्यार्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा. निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

5. चयनित अभ्यर्थियों में से क्रमांक 02, एवं 05 के अभ्यर्थी जिला बेमेतरा एवं सुकमा में जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय का संचालन प्रारंभ होने के 30 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा. जिला बेमेतरा एवं सुकमा में नियुक्त सदस्यों को जिला उपभोक्ता आयोग कार्यवाही प्रारंभ होने उपरांत नियमानुसार वेतन एवं भत्ते की पात्रता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 2-03/2023/30/सं.—राज्य की कला, संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत माता कौशल्या जन्मभूमि के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करने एवं महिला सशक्तिकरण, कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत् विकास हेतु "माता कौशल्या महोत्सव" का समारोह प्रतिवर्ष मनाने हेतु निम्नानुसार नियम बनाता है अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :—**
   1) ये नियम "माता कौशल्या महोत्सव" कहलायेंगे.
   2) ये नियम इसके प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा :—**
   1) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.
   2) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन.
   3) "विभाग" से अभिप्रेत है संस्कृति विभाग.
   4) "संचालनालय" से अभिप्रेत है संचालनालय, संस्कृति एवं राजभाषा.
   5) "संचालक/आयुक्त" से अभिप्रेत है संचालनालय/आयुक्त, संस्कृति एवं राजभाषा.
   6) "महोत्सव" से अभिप्रेत है रामायण आधारित धार्मिक भजन, गीतसंगीत, नृत्य-नाटिका, संगोष्ठि, परिचर्या/प्रदर्शनी.

3. **उद्देश्य :—**
   1) सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत माता कौशल्या जन्मभूमि के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करना.
   2) महिला सशक्तिकरण, कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत विकास हेतु प्रयास करना.
   3) राज्य की कला, संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देना.

4. **कार्यक्रम आयोजन :—**
   1) यह त्रिदिवसीय आयोजन प्रतिवर्ष अप्रैल/मई माह में आयोजित किया जायेगा.
   2) दैनिक समाचार पत्रों तथा संचालनालय के सूचना पटल, सोशल मिडिया एवं वेबसाईट के माध्यमों से सूचना प्रसारित की जाएगी.
   3) प्रतिवर्ष कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करना.
   4) रामायण आधारित धार्मिक भजन, गीतसंगीत, नृत्य-नाटिका, संगोष्ठि, परिचर्या एवं महिला सशक्तिकरण पर आधारित विभागीय प्रदर्शनी का आयोजन.

5) छत्तीसगढ़ के कलाकारों को मानदेय भुगतान "छत्तीसगढ़ लोक कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम 2021" के अंतर्गत होगा एवं अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को मानदेय राशि का भुगतान हेतु संचालक द्वारा विभागीय समिति की अनुशंसा पर देय होगा.

5. **विभागीय समिति :—**

1) आयुक्त/संचालक द्वारा नामांकित विभागीय समिति के सदस्य होंगे.

2) कार्यक्रम की रूपरेखा तथा अनुमानित वित्तीय बजट तैयार करेंगे.

6. **बजट आहरण :—** आयोजन में होने वाले व्यय विभागीय मद मांग संख्या 26, लेखा शीर्ष, 2205 कला और संस्कृति, 102 कलाओं और संस्कृति का संवर्धन, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य), 5753 समारोह हेतु अनुदान, 74-मेला, उत्सव, प्रदर्शनी आयोजना मद से राशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से देय होगा.

7. **प्रशासनिक विभाग/नोडल ऐजेंसी :—**

1) माता कौशल्या महोत्सव कार्यक्रम का प्रशासनिक विभाग संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन होगा तथा इसके क्रियान्वयन हेतु नोडल ऐजेंसी संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, रायपुर होगी.

2) किसी भी कार्यक्रम संबंधी विवाद अन्य विवाद पर आयुक्त/संचालक, संस्कृति का निर्णय अंतिम होगा.

3) माता कौशल्या महोत्सव को सांस्कृतिक पंचांग में शामिल करते हुए एक महोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जायेगा. इस संबंध में कोई अपील अथवा न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा.

8. **नियमों में संशोधन :—** यदि इन नियमों के किसी उपबंधों में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो तो उक्त संबंध में यथोचित कारण दर्शाते हुए नियमों में संशोधन किया जा सकेगा.

क्रमांक एफ 4-2/2023/30/सं. नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जुलाई 2023

खुमान साव सम्मान

प्रस्तावना :— छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को "खुमान साव सम्मान" देने का निर्णय लिया है.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं —

1. **संक्षिप्त नाम :—**

1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "खुमान साव सम्मान नियम-2023" है.

2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा :—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

अ. "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है.

ब. "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **सम्मान का स्वरूप :—** छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष "खुमान साव सम्मान" राशि रुपये 1 लाख (रुपये एक लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी. सम्मान, छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन :—** राज्य शासन, लोक संगीत क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो अधिकतम पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा :—

1. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ अथवा उनके द्वारा मनोनित सदस्य (उक्त विधा का प्राध्यापक)

2. अन्य चार प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद् के अंतर्गत — सदस्य
   (1) कला अकादमी के अध्यक्ष
   (2) कला अकादमी के सदस्य
   (3) उप संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा
   (4) प्रतिष्ठित लोकसंगीत

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ :—**

(1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति का चयन होगा.

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा भत्ता देय होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया :—** सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्ति के चयन की प्रकिया निम्नानुसार रहेगी :-

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा एवं विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी.

(2) प्रविष्टि संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :-
   क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.
   ख. छत्तीसगढ़ मूल निवासी एवं आधार कार्ड अनिवार्य (सत्यापित छायाप्रति).
   ग. छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी.
   घ. यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.
   च. छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति. (उपलब्धतानुसार)
   छ. छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात् पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो.
   ज. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति की लिखित सहमति.

(3) अ. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.
   ब. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा —

क्र.	सम्मान हेतु व्यक्ति के नाम, पता एवं मोबा.नं. तथा आधार कार्ड की छायाप्रति	जन्मतिथि एवं आयु	प्रस्तावक का नाम व पता	लोक संगीत की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा एवं कार्य अवधि	प्राप्त पुरस्कार/ सम्मान (अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय/जिला स्तरीय)	यदि शासकीय सेवारत हो तो जानकारी	सम्मान ग्रहण करने हेतु सहमति पत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(7) पंजीयन के पश्चात् संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी —

1. व्यक्ति का नाम एवं पता
2. प्रस्तावक
3. कलाकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
4. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
5. प्रमाण/टिप्पणियाँ
6. सम्मान ग्रहण करने बाबत् सहमति है/नहीं है.

7. **चयन का मानदंड :—**सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

(2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के छत्तीसगढ़ी लोक संगीत कार्यों का मूल्यांकन होगा.

(3) व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है.

(4) सम्मान चूंकि छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

(5) यह भी देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

(6) निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवार जन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

(7) यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल

(जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

(8) यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वत: ही स्व-विवेक से विचार करते हुए, किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, समन्वय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा.

8. **सम्मान की घोषणा :—** निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह :—** सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के द्वितीय श्रेणी अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति :—** सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी. सम्मान/पुरस्कार हेतु राशि रु. 1.00 लाख एवं अन्य व्यय हेतु राशि रु. 1.00 लाख अर्थात् कुल राशि रु. 2.00 लाख मात्र व्यय होगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :—** राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, का निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन :—** चयनित व्यक्ति के छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों/कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 1-08/2022/दो-गृह/भापुसे.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14-02-2023 द्वारा श्री पुष्कर शर्मा (सीजी-2018), पुलिस अधीक्षक नारायणपुर (छ.ग.) को आवंटन वर्ष 2018 से 04 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2022 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-3 तथा भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 6(ए)(3) में निहित प्रावधान के तहत, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक 26-09-2022 से वरिष्ठ वेतनमान (अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 रु. 67,700-02,08,700) प्रदान किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश दिनांक 14-02-2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री पुष्कर शर्मा, (सीजी-2018), को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण (Pass) करने की वास्तविक तिथि अर्थात् दिनांक 24-06-2023 से वरिष्ठ वेतनमान (अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 रु. 67,700-02,08,700) प्रदान किया गया है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 7-07/2023/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजनाला स्मृतिक, (भापुसे-2020), नगर पुलिस अधीक्षक, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छ.ग. को दिनांक 26 जुलाई 2023 से 04 अगस्त 2023 (कुल 10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 05 एवं 06 अगस्त 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजनाला स्मृतिक आगामी आदेश तक नगर पुलिस अधीक्षक, अंबिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री स्मृतिक को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्मृतिक, (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री राजनाला स्मृतिक, (भापुसे-2020), नगर पुलिस अधीक्षक, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अखिलेश कौशिक, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 1-219/2019/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित वार्डों की चतुर्सीमा को नगर पालिक निगम कोरबा, जिला-कोरबा की वर्तमान सीमा से पृथक करते हुए नगरपालिका परिषद् बांकी मोंगरा, जिला-कोरबा का गठन करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

नगर पालिक निगम कोरबा, जिला-कोरबा की सीमा से पृथक किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	वार्ड का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	गेवरा	60	5651
2	आदर्श नगर	61	5234
3	नरईबोध	62	5984
4	मोंगरा	63	5883
5	घुड़देवा	64	5754
6	बांकी मोंगरा वार्ड क्रमांक 1	65	5985
7	बांकी मोंगरा वार्ड क्रमांक 2	66	5951
8	गजरा	67	5855

अनुसूची-2

नगरपालिका परिषद् बांकी मोंगरा, जिला-कोरबा की प्रस्तावित सीमाएं निम्नानुसार है :—

गोवरा वार्ड क्रमांक 60, आदर्श नगर वार्ड क्रमांक 61, नरईबोध वार्ड क्रमांक 62, मोंगरा वार्ड क्रमांक 63, घुड़देवा वार्ड क्रमांक 64, बांकी मोंगरा वार्ड क्रमांक 65, बांकी मोंगरा वार्ड क्रमांक 66, गजरा वार्ड क्रमांक 67.

उपरोक्त अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-कोरबा को कार्यालयीन दिवस एवं समय पर उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 24 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 1-219/2019/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-219/2019/18 दिनांक 24-07-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 24th July 2023

No. F 1-219/2019/18.—In exercise of powers conferred by section 405 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby, disestablish the following areas from the limits of Municipal Corporation Korba, Distt.-Korba and signify their intention to Constitute Municipal Council Banki Mongra, District-Korba as given in the Schedule below :—

SCHEDULE-1

The particulars of the areas being disestablished from of the limits of Municipal Corporation Korba is as under :—

S. No.	Name of area	Name of ward	population year (2011)
1	Gevra	60	5651
2	Aadarsh Nagar	61	5234
3	Naraibodh	62	5984
4	Mongra	63	5883
5	Ghudhdeva	64	5754
6	Banki Mongra Ward no 1	65	5985
7	Banki Mongra Ward no 2	66	5951
8	Gajra	67	5855

SCHEDULE-2

The boundaries of proposed Municipal Council Banki Mongra Distt.-Korba is as under :—

The Boundaries of Gevra ward No. 60, Aadarsh Nagar ward No. 61, Naraibodh ward No. 62, Mongra ward No. 63, Ghudhdeva ward No. 64, Banki Mongra ward No. 65, Banki Mongra ward No. 66, Gajra ward No. 67.

Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District-Korba on any official day and time within 21 days from the date of publication in "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. DHRUV, Joint Secretary.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 1-9/2022/18.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम/ग्राम पंचायतों के क्षेत्र को नगर पंचायत भिंभौरी, जिला-बेमेतरा की सीमा में सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :—

अनुसूची-1

नगर पंचायत भिंभौरी की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	ग्राम पंचायत भिंभौरी	4592
2	ग्राम पंचायत पिरदा	1578
3	ग्राम गब्दा	710

अनुसूची-2

नगर पंचायत भिंभौरी की सीमाएं निम्नानुसार है :—

ग्राम पंचायत भिंभौरी, ग्राम पंचायत पिरदा एवं ग्राम गब्दा की सीमाएं ही नगर पंचायत भिंभौरी की सीमाएं होंगी.

अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-बेमेतरा को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 1-9/2022/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-9/2022/18 दिनांक 26-07-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 26th July 2023

No. F 1-9/2022/18.—In exercise of powers conferred by section 5(A) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to include of Nagar Panchayat Bhinbhouree in District-Bemetara as per the Schedule given below :—

SCHEDULE-1

The particulars of areas to be included in the limits of Nagar Panchayat Bhinbhouree is as under :—

S. No.	Name of Gram panchayat	population year 2011
1	Gram Panchayat Bhinbhouree	4592
2	Gram Panchayat Pirda	1578
3	Gram Panchayat Gabda	710

SCHEDULE-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Bhinbhouree is as under :—

The Boundaries of the Nagar Panchayat Bhinbhouree, Gram Panchayat Pirda and Gram gabda shall be the boundaries of Nagar Panchayat Bhinbhouree.

Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District-Bemetara on any official day and time within 21 days from the date of Publication in "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. S. DHRUV, Joint Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-01-2003 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2022) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(1) **उपनियम 4.3.1**

एकल निविदा पद्धति :—

(अ) ऐसी एकल वस्तुएं जो कि सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाये, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात एक फर्म से निविदा प्राप्त कर का किया जावेगा परंतु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रु. 50,000 (पचास हजार) से अधिक की न हो.

(ब) परंतु, एकल वस्तु की कीमत रुपये 50,000 (पचास हजार) से अधिक होने पर निम्नलिखित अनुसार शर्तों/प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कार्यवाही की जायेगी :—

(1) सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) के रूप में क्रय की जाने वाली वस्तु के विषय में क्रेता विभाग के संज्ञान में यह होने अपेक्षित होगा कि उक्त आवश्यक वस्तु का निर्माण केवल एक ही उत्पादनकर्ता द्वारा किया जाता है.

(2) आपातकालीन स्थिति में उक्त आवश्यक सामग्री का क्रय किसी एक प्रदायक से क्रय किये जाने के संबंध में लिया गया निर्णय कारणों को अभिलिखित करते हुए लिया जायेगा. साथ ही इस हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त की जावेगी.

(3) **प्रोपराईटरी आर्टिकल (Proprietary Article) का क्रय :—** किसी मशीन, अतिरिक्त, कलपुर्जे जो कि विद्यमान उपकरणों के मानकीकरण अथवा स्पेयर पार्ट्स के लिए मौजूदा सेट के अनुकूल होने पर (सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) आवश्यक वस्तु केवल एक चयनित फर्म से क्रय किया जा सकता है.

परन्तु, इस हेतु प्रशासकीय विभाग के द्वारा निविदा के माध्यम से प्रोपराईटरी आर्टिकल (Proprietary Article) क्रय किये जाने के पूर्व निर्धारित प्रपत्र के परिशिष्ट-4 के अनुसार) में प्रोपराईटरी आर्टिकल प्रमाण पत्र (Proprietary Article Certificate) प्राप्त किया जाना होगा. सांपत्तिक वस्तु (Proprietary Character) का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात एक फर्म से क्रय की सीमा, सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन के अनुसार ही होगी.

उक्त एकल निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता से क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमावली की कंडिका-4.3.1 (ब) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसरण किया जाना होगा :—

1. संबंधित विभाग/संस्था द्वारा सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) आर्टिकल सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर, इस संबंध में दावा आपत्ति हेतु संक्षिप्त सूचना समाचार पत्रों में तथा विस्तृत सूचना शासन/विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी.

2. दावा आपत्ति हेतु न्यूनतम 30 दिवस का समय प्रदान किया जावेगा. इस समयावधि में यदि कोई दावा आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका विधिवत् निराकरण किया जावेगा.

3. दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात् यदि यह सुनिश्चित हो जाता है कि संबंधित सामग्री सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) की है, तथा प्रोपरायट्री आर्टिकल सर्टिफिकेट में अंकित आपूर्तिकर्ता के अतिरिक्त, अन्य कोई व्यक्ति/संस्था उसकी आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है अथवा क्रय का अन्य कोई विकल्प नहीं है, तो प्रस्तावित आपूर्तिकर्ता से, आईटम की दरें एवं उसका औचित्य (Justification) प्राप्त किया जावेगा एवं इस प्रकार प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर क्रय समिति द्वारा दर, स्वीकृत/अस्वीकृत/नेगोशिएट करने की अनुशंसा की जाकर अनुशंसा अनुसार आगामी कार्यवाही/दर अनुबंध, सक्षम अनुमोदन के पश्चात् किया जावेगा.

(स) भण्डार क्रय नियमावली की कंडिका-4.3.1 (ब) के अधीन क्रय किये गये सामग्रियों हेतु निर्धारित सीमा तक मूल्य की सामग्री के लिये, राज्य शासन के संबंधित विभाग द्वारा अपने अधिनस्थ विभागाध्यक्ष/संस्था प्रमुख को अधिकारों का प्रत्यायोजन प्रशासकीय अनुमोदन के द्वारा किया जा सकेगा.

(2) उपरोक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 10-7/2021/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (सन् 1960 का क्रमांक 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री भीम सिंह (भा.प्र.से.) को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "श्रम आयुक्त" नियुक्त करता है.

No. 10-7/2021/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (27 of 1960) and in supersession of all previous notification issued in this regard, the State Government hereby appoints Shri Bhim Singh (I.A.S.) as the "Labour Commissioner" for the State of Chhattisgarh.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 अगस्त 2023

क्रमांक 10-19/2012/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अधिसूचना क्र. एफ 10-13/2012/16, दिनांक 10-09-2012 में लागू असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर, सायकल सहायता योजना 2012 के (अ) योजना प्रावधान बिंदु क्रमांक (ii) में उल्लेखित प्रावधान को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर, सायकल सहायता योजना 2012 :—

(अ) योजना का प्रावधान

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत असंगठित समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर) कर्मकार को सायकल अथवा सायकल हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर के बराबर की राशि प्रदाय किया जावेगा.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहू, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 अगस्त 2023

क्रमांक 9761/2671/21-ब/छ.ग./2023.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री विनोद कुमार शर्मा को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, अंबिकापुर जिला सरगुजा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अतिरिक्त लोक अभियोजक, अंबिकापुर जिला सरगुजा के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तक या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 6 जुलाई 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202209222000008/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	टेंगनाभाठा	1.88	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	टेंगनाही डोंगर जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छुरा जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 6 जुलाई 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202209222000009/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	पीपराही	0.43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	टेंगनाही डोंगर जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छुरा जिला गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश छिकारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 जुलाई 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202101042900045/अ-82/2020-21.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम नहरपाली, प.ह.नं. 31 रा.नि.मं. चपले, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल खसरा नंबर 28 कुल रकबा 2.132 हे. को भू-अर्जन क प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 11(1) की अधिसूचना तथा धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 01-10-2021 एवं 28-10-2022 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि में से निम्नांकित भूमि हावडा मुंबई रेलमार्ग के कि.मी. 605/25-606/01 में समपार क्रमांक 301 नहरपाली में रायगढ़-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग भूपदेवपुर-राबर्टशन के मध्य आर.ओ.बी. निर्माण में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 के क्रमांक 01 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम — नहरपाली

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
286/1 से	0.033

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 1 अगस्त 2023

क्रमांक/10411/भू-अर्जन/19/अ-82/2018-19.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-ढुकुपथरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.756 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
579/1	0.324
464	0.004
466/2	0.008
455	0.304

	(1)	(2)
	217/1	0.060
	168/4 शामिल 169/1	0.008
	456/2	0.048
योग	07	0.756

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–ढुकुपथरा–पर्रापखना मार्ग में गाजर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, दिनांक 14 अगस्त 2023

प्रकरण क्रमांक 01/अ–82/2020–21.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही
(ख) तहसील–मरवाही
(ग) नगर/ग्राम–पीपरडोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल–0.117 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	699	0.028
	698/2	0.089
योग	02	0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–धनपुर–पीपरडोल मार्ग में पुल निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मरवाही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका ऋषि महोबिया, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 अगस्त 2023

प्र. क्रमांक 03/अ–82/2019–20.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–रायगढ़
(ख) तहसील–रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम–पंझर
(घ) लगभग क्षेत्रफल–0.242 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	96/1	0.060
	96/2	0.061
	97/1	0.121
योग	03	0.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना के अंतर्गत चपले–बायंग–नंदेली मार्ग निर्माण हेतु भू–अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st August 2023

No. 49/L.G./2023/II-2-38/2018.—Shri Davender Kumar, Additional Registrar (D.E. & E.), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 10-06-2023 to 14-06-2023 in continuation of summer vacation along with permission to leave headquarters from 27-05-2023 to 14-06-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 161 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st August 2023

No. 50/L.G./2023/II-2-16/2015.—Smt. Suman Ekka, Judge, Family Court, Baloda-Bazar is hereby, granted earned leave for 04 days from 04-06-2023 to 07-06-2023 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 1st August 2023

No. 51/L.G./2023/II-3-14/2008.—Shri K. L. Charyani, District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 03 days from 14-06-2023 to 16-06-2023 along with permission to leave headquarters from the evening of 13-06-2023 till the morning of 19-06-2023 and earned leave for 12 days from 23-06-2023 to 04-07-2023 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Charyani, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 249 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st August 2023

No. 52/L.G./2023/II-2-11/2017.—Dr. Pragya Pachouri, District & Sessions Judge, Balod is hereby, granted child-care-leave for 11 days from 01-05-2023 to 11-05-2023 along with permission to remain out of headquarters , earned leave for 04 days from 10-06-2023 to 13-06-2023 in continuation of summer vacation along with permission to remain out of headquarters till before the Court hours of 14-06-2023 and earned leave for 05 days from 10-07-2023 to 14-07-2023 along with permission to remain out of headquarters from 08-07-2023 to 16-07-2023.

During the period of child-care-leave & earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Dr. Pachouri, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 714 days of child-care-leave & 167 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 1st August 2023

No. 53/L.G./2023/II-2-10/2018.—Shri Manvendra Singh, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 03 days from 10-06-2023 to 12-06-2023 in continuation of summer vacation along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 278 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st August 2023

No. 54/L.G./2023/II-2-25/2016.—Shri Arvind Kumar Sinha, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 03 days from 26-06-2023 to 28-06-2023 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 24-06-2023 till before the office hours of 30-06-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sinha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+03 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st August 2023

No. 55/L.G./2023/II-3-14/2003.—Shri Rakesh Bihari Ghore, the then District & Sessions Judge, Surguja (Ambikapur) is hereby, granted earned leave for 06 days from 04-05-2023 to 09-05-2023 along with permission to remain out of headquarters after the Court of 03-05-2023 till before the Court hours of 10-05-2023 and earned leave for 09 days from 05-07-2023 to 13-07-2023 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ghore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+06 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st August 2023

No. 56/L.G./2023/II-2-8/2021.—Shri Rajeev Kumar, Judge, Family Court, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 05 days from 10-07-2023 to 14-07-2023 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 07-07-2023 till before the Court hours of 17-07-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rajeev Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 70 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st August 2023

No. 57/L.G./2023/II-3-7/2005.—Shri Ramjivan Dewangan, Judge, Family Court, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 03 days from 26-06-2023 to 28-06-2023 along with permission to remain out of headquarters from 25-06-2023 till before the Court hours of 30-06-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dewangan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 163 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st August 2023

No. 58/L.G./2023/II-2-18/2022.—Shri Srinarayan Singh, Judge, Family Court, Uttar Bastar (Kanker) is hereby, granted earned leave for 05 days from 10-07-2023 to 14-07-2023 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 07-07-2023 till before the Court hours of 17-07-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.)